

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी - श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 64ए/16
 संस्थापन दिनांक:-10/09/15
फाईलिंग नं. 233504000322015

रोन्या पिता मल्लु, उम्र 70 वर्ष
 निवासी डोडावानी, पोस्ट कुटखेड़ी,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**वादी**

वि रू द्ध

1. रामजी पिता फूसू, उम्र 30 वर्ष
2. बबलू पिता फूसू, उम्र 36 वर्ष
 दोनों निवासी ग्राम बड़ाखारी,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**प्रतिवादीगण**

—: (आदेश) :—

(आज दिनांक 25.04.2017 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क्रमांक 01 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2 वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1979 के द्वारा ख.नं. 54 रकबा 0.348 हे. भूमि क्रय की गयी एवं राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उपर्युक्त विवादित भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज चला आ रहा है। विवादित भूमि ख.नं. 54 पर प्रतिवादी क्र. 01, 02 द्वारा वर्ष 1998 में जबरन कब्जा कर आंगन और झोपड़ी बना ली गयी थी जिस कारण से वादी द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया, तब दिनांक 21.05.1998 को राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन किया गया जिसमें प्रतिवादी क्र. 01 के पिता फूसू द्वारा 150 वर्ग कड़ी में आंगन बनाकर और प्रतिवादी क्र. 02 बबलू के द्वारा 120 वर्ग कड़ी में झोपड़ी बनाकर कब्जा किया गया जिसे सीमांकन कार्यवाही के बाद हटा दिया गया। पुनः से वर्ष

2015 में प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के मकान के सामने उसकी भूमि पर मकान निर्माण कर अवैध कब्जा किया जा रहा है जिसकी शिकायत वादी के द्वारा पुलिस अधीक्षक बैतूल को एवं थाना प्रभारी आमला को की गयी परंतु उपर्युक्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को निषेधित नहीं किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य करने से एवं वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाये।

3 प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि वादी के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1981 के द्वारा ख.नं. 54 के रकबे 0.348 हे. में से मात्र 0.174 हे. क़य की गयी थी। राजस्व अभिलेखों में एवं ऋण पुस्तिका में वादी के नाम पर ख.नं. 54 का पूर्ण रकबा त्रुटिपूर्ण तरीके से लेख कर दिया गया है। वादी के द्वारा जो सीमांकन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं वे विरोधाभासी हैं। साथ ही प्रतिवादीगण की उपस्थिति में भी सीमांकन नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्र. 01 रामजी द्वारा ख.नं. 66 में 25 गुणा 25 कुल 625 वर्गफिट भूमि के प्राप्त पट्टे पर एवं प्रतिवादी क्र. 02 बबलू द्वारा 420 वर्गफिट भूमि के प्राप्त पट्टे पर पुराने मकान को तोड़कर नये मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। यदि प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 को निर्माण कार्य से निषेधित किया जाता है तो उन्हें असुविधा होगी। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण

5 वादी द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसकी क़य की गयी भूमि ख.नं. 54 रकबा 0.348 हे. पर आंगन और झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का यह कहना है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि पर किया जा रहा है।

6 वादी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1979 विवादित भूमि ख.नं. 54 की किश्तबंदी एवं खसरा वर्ष 2014-15, विवादित भूमि का सीमांकन नक्शा वर्ष 1997 एवं 1998, वादी द्वारा तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गयी शिकायत की छायाप्रति प्रस्तुत की है तथा आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रतिवादी क्र. 01 रामजी एवं प्रतिवादी क्र. 02 बबलू को ख.नं. 66 के पट्टे की छायाप्रति प्रस्तुत की है तथा ग्राम सरपंच एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके के पंचनामे की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7 वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1979 के अवलोकन से वादी द्वारा विक्रेता श्रीमती कौशल एवं बंशीलाल से ख.नं. 54 के रकबे 0.348 हे. में से 0.174 हे. क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है तथा साथ ही ख.नं. 54 के सीमांकन प्रतिवेदन जो कि वर्ष 1997 और 1996 का है उसमें भी प्रतिवादीगण द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रफल पर अतिक्रमण किया जाना लेख है। इस प्रकार वर्ष 1997 एवं 1998 का सीमांकन प्रतिवेदन विरोधाभासी है और उनके अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि किसकी उपस्थिति में वह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

8 वादी के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1979 के आधार पर ख.नं. 54 के रकबे 0.348 हे. के स्वत्वाधिकारी होने की घोषणा चाही गयी है। जबकि विक्रय पत्र के अवलोकन से वादी द्वारा ख.नं. 54 के रकबे 0.348 हे. में से मात्र 0.174 हे. क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर ही इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रतिवादीगण का जो अतिक्रमण ख.नं. 54 पर दर्शाया गया है वह उसके द्वारा क्रय रकबे पर ही है। वादी के द्वारा ख.नं. 54 पर स्वत्व की घोषणा चाही गयी है। उसके द्वारा विक्रय पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि क्षेत्रफल में भिन्नता है परंतु फिर भी वादी द्वारा ख.नं. 54 की भूमि क्रय किया जाना विक्रय पत्र से दर्शित हो रहा है। अतः स्वत्व घोषणा के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2 एवं 3 का निराकरण

9 प्रतिवादीगण द्वारा ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ख.नं. 66 के संबंध में उन्हें भूखंड धारक के संबंध में प्रदाय किये गये प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। साथ ही तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र के परिपालन में ग्राम पंचायत कूटखेड़ी के सरपंच द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके के पंचनामे की जो छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है उसमें प्रतिवादीगण के द्वारा पट्टे में

लेख क्षेत्रफल 25 गुणा 25 पर ही मकान निर्माण किया जाना पाया गया है। इस प्रकार जबकि वादी के द्वारा विवादित भूमि की सीमांकन रिपोर्ट विरोधाभासी है एवं किसकी उपस्थिति में तैयार की गयी यह भी स्पष्ट उल्लेखित नहीं है। जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा जो मौका पंचनामा दिया गया है वह सरपंच एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में तैयार किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा उनकी भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जाना दर्शित होता है। यदि ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण को शासन से प्राप्त भूखंड पर निर्माण कार्य करने से निषेधित किया जाता है तो निश्चित ही उन्हें वादी की अपेक्षा अधिक असुविधा होगी। जबकि यदि वादी अपना मामला गुण-दोष पर प्रमाणित करने में सफल रहता है तब उसे प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाया जा सकता है एवं उन्हें हुई क्षति की पूर्ति धन के रूप में करायी जा सकती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

10 वादी द्वारा उपर्युक्त आवेदन के संबंध में तीनों आवश्यक तत्व वादी के पक्ष में नहीं पाये गये हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 1 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

11 आवेदन के निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल